Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ सीकर में थानाधिकारी पाटन के नाम पर 50 हजार रूपये की रिश्वत लेते 03 प्राईवेट व्यक्ति (वकील) रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, *21 फरवरी, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की सीकर इकाई द्वारा कल देर रात कार्यवाही करते हुये 03 प्राईवेट व्यक्ति (वकील) सागरमल, उज्जवल खोखर व बजरंगलाल को थानाधिकारी पाटन एवं उसके रीडर के नाम पर **50 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध पाटन थाने में दर्ज प्रकरण में धाराएं हटाने एवं फाईल को पक्ष में करवाने की एवज में प्राईवेट व्यक्ति (वकील) सागरमल, उज्जवल खोखर व बजरंगलाल द्वारा थानाधिकारी पाटन एवं उसके रीडर के नाम पर **01 लाख रूपये** रिश्वत की मांग कर बाद में **70 हजार रूपये** सहमत होकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम** के सुपरवीजन में एसीबी की सीकर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राजेश जांगिड** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **पुलिस निरीक्षक श्री सुरेशचन्द** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्राईवेट व्यक्ति सागरमल निवासी मदनी दातारामगढ जिला सीकर हाल वकील, उज्जवल खोखर हाल वकील व बजरंगलाल हाल वकील को थानाधिकारी पाटन एवं उसके रीडर के नाम पर **50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपीयान द्वारा **20 हजार रूपये** की रिश्वत राशि पूर्व में दौराने सत्यापन परिवादी से वसूल ली गई थी।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपीयान से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।